

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ ५८५

रीवा दिनांक : १६-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

श्री साईं कालेज आफ टेक्नालोजी एण्ड साइंस
बैकुण्ठपुर, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(17) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष प्लेन एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120-120सीट।
2.	बी.बी.ए. प्रथम द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-120-120सीट।
3.	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-120-120सीट।
4.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र (अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर)-120-120सीट।
5.	एम.एस.डब्लू. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध-130सीट।
6.	एम.काम. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध-40-40सीट।
7.	पी.जी.डी.सी.ए.-120सीट।
8.	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिकी, गणित, रसायन, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर साइंस, बाटनी, जुलाजी-50-50सीट।
9.	बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम-दो यूनिट-100सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत सभी विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
कुलसचिव १५/११/२०२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ५८५

रीवा दिनांक : १६-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
डी.आर.एस. शिक्षा महाविद्यालय
गंगापुर, रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 04 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.एड. पाठ्यक्रम – समस्त अनिवार्य विषय – 100सीट।
2.	बी.ए.बी.एड.–दो यूनिट (चार वर्षीय पाठ्यक्रम) – 100सीट।
3.	बी.काम. प्रथम वर्ष समस्त अनिवार्य विषय, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन – 50सीट।
4.	बी.सी.ए. प्रथम वर्ष – 30सीट।

नोट –

- एन.सी.टी.ई. नाम्स / कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधीक्षकारकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
कुलसचिव १५/११/२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ५८६

रीवा दिनांक : १६-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
महात्मा गांधी कालेज,
सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(01) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-300सीट।
2.	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-360सीट।
3.	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-सभी अनिवार्य विषय एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन (अतिरिक्त विषय)-240सीट।
4.	बी.काम. आनर्स-प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-300सीट।
5.	एम.काम. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध-120सीट।
6.	पी.जी.डी.सी.ए.-150सीट।
7.	एम.एस.डब्ल्यू. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध-150सीट।
8.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, गणित, रसायन, (अतिरिक्त विषय) इतिहास, हिन्दी, कम्प्यूटर-300सीट।
9.	बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, गणित, रसायन, (अतिरिक्त विषय) बाटनी, जुलाजी, बायोटेक्नालाजी, कम्प्यूटर-550सीट।
10.	एम.ए. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध अर्थशास्त्र, इतिहास, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, अंग्रेजी-100-100सीट।
11.	एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध कम्प्यूटर साइंस-150सीट।
12.	बी.एस.डब्ल्यू. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-60सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत विज्ञान एवं कामर्स विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- विज्ञान विषयों की प्रयोगशालाओं को उन्नत करें।
- पुस्तकालय में विषय संबंधित पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
कुलसंचिव 15-11-21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

- उप कुलसंचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसंचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के संचिव / कुलसंचिव के निज सहायक।
- प्रभारी एम.पी. आनन्दलक्ष्मी अ.प्र. मिन्न विश्वविद्यालय, रीवा।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ ५८७
प्रति,

रीवा दिनांक : १६-११-२०२१

अध्यक्ष/प्राचार्य
महात्मा गांधी कालेज
सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता बावत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक ०९-०९-२०२१ के आइटम क्रमांक २(१) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा १५(४) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम २७ के अनुसार, आपके महाविद्यालय को कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा/विषय
१	बी.ए.एलएल.बी. (पांचवर्षीय पाठ्यक्रम) द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष-६०सीट। कक्षा/विषयों में क्रमशः सत्र २०१९-२०२०, २०२०-२०२१, २०२१-२०२२ के लिए।
२	एलएल.बी. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) द्वितीय, तृतीय वर्ष-६०सीट। कक्षा/विषयों में क्रमशः सत्र २०१९-२०२०, २०२०-२०२१ के लिए।

नोट –

- बी.सी.आई. की नियमावली/कालेज कोड २८ के अन्तर्गत प्राचार्य सहित १+७ के शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में संबंधित विषयों की पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।
- कम्यूटर्स को अपडेट करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन ०३ माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र २०२२-२०२३ से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,
[Signature]
कुलसचिव
[Signature]

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)
[Signature]
१६/११/२१

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ५७६

रीवा दिनांक : १७-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

रविशंकर कालेज आफ एजूकेशन
चित्रकूट, जिला सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 एवं तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार एवं क्षेत्रीय निर्देशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय समिति द्वारा नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NCTE/WRC/B.Ed./M.Ed./M.P./2021/216812 to 216832 दिनांक 5-8-2021 तथा विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27-08-2021 के आइटम क्रमांक 3 की संस्तुति तथा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत माननीय कुलपति जी द्वारा किये गये अनुमोदन अनुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2020–2021 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.एड. पाठ्यक्रम समर्त अनिवार्य विषय-100सीट।

नोट –

- एन.सी.टी.ई. नार्स / कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
hans
कुलसचिव 15/11/21
sh

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)

sh

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ ५९७

रीवा दिनांक : १७-११-२०२१

प्रति,

प्राचार्य

डॉ. री.पी. तिवारी स्मृति महाविद्यालय
अमझोर, जिला शहडोल (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 बावत।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक ९ की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक ०७ दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार एवं विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक ३ की अनुशंसा तथा माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक ५-१०-२१ अनुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-60-60सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- क्रीड़ागांगन की व्यवस्था उन्नत करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

15/११/२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुडा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय, प्रशासन, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)
15/११/२१

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ ५७९

रीवा दिनांक : १७-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

छत्रपति साहू जी शिक्षा महाविद्यालय
रत्हरी रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-3/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 एवं तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार एवं क्षेत्रीय निर्देशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय समिति द्वारा नई दिल्ली के पत्र क्रमांक/NCTE/WRC/B.Ed./2021/216141 दिनांक 14-7-2021 तथा विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27-08-2021 के आइटम क्रमांक 12 की संस्तुति तथा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत माननीय कुलपति जी द्वारा किये गये अनुमोदन अनुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2020–2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एड. पाठ्यक्रम समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।

नोट –

- प्रयोगशालाओं को उन्नत करें।
- पुस्तकालय में कुछ नवीन पुस्तकों को मंगायें एवं वाचनालय की व्यवस्था करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021–2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
[Signature]
कुलसचिव १५/११/२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)
[Signature]

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ ५९९

रीवा दिनांक : १७-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
मायाराम महाविद्यालय
मेढ़ौली, मोरबा, सिंगराँली (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक 9 एवं तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णयानुसार एवं क्षेत्रीय निर्देशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पश्चिम क्षेत्रीय समिति द्वारा नई दिल्ली के पत्र क्रमांक क्रमांक/NCTE/WRC/B.Ed/M.Ed/M.P./2021/216826 दिनांक 5-8-2021 तथा विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27-08-2021 के आइटम क्रमांक 10 की संस्तुति तथा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत माननीय कुलपति जी द्वारा किये गये अनुमोदन अनुसार आपके महाविद्यालय को सत्र 2020–2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एड. पाठ्यक्रम समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।

नोट –

१. एन.सी.टी.ई. नार्स/ कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021–2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
Abow
 कुलसचिव १५.११.२१
SC

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

१. उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
२. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
३. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
४. कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)
SC

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ ६००

रीवा दिनांक : १८-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
मनोज जैन मेमोरियल कालेज
शेरगंज, सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(03) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एड. पाठ्यक्रम समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।
2.	बी.ए.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम-50सीट।
3.	बी.एससी.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम-50सीट।

आदेशानुसार

कुलसचिव

18/11/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 60।

रीवा दिनांक : 18-11-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
विन्ध्य कालेज आफ एजूकेशन
शेरगंज, सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(13) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एड. पाट्यक्रम समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।

आदेशानुसार
कुलसचिव 15-11-2021


प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)



अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 602

रीवा दिनांक : 18-11-2021

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

सरदार वल्लभभाई पटेल शिक्षा महाविद्यालय
रतहरी, समान, रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(22) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एड. पाठ्यक्रम – समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।

नोट –

- पुस्तकालय में पुस्तकों में वृद्धि करें।
- कम्प्यूटर लैब को उन्नयित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जायेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव 15/11/2021

मेरि

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वैबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक/कुलसचिव (विकास)

मेरि

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 603

रीवा दिनांक : १८-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

एम.एल. चौरसिया बी.एड. कालेज
खाम्हा, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(06) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एड. पाठ्यक्रम – समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।

नोट –

- महाविद्यालय में पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर लैब को और अधिक व्यवस्थित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

15/11/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 605

रीवा दिनांक : २३-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

शारदा महाविद्यालय, सरला नगर
मैहर जिला सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(02) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष – समस्त अनिवार्य विषय-80-80सीट।
2.	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष-समस्त अनिवार्य विषय एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन (अतिरिक्त विषय)-80-80सीट।
3.	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष – समस्त अनिवार्य विषय-60-60सीट।
4.	एम.काम. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध-40-40सीट।
5.	एम.एससी. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध कम्प्यूटर साइंस-40-40सीट।
6.	बी.काम. आनर्स प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-60-60सीट।
7.	पी.जी.डी.सी.ए. समस्त अनिवार्य विषय-60सीट।
8.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कम्प्यूटर -80-80सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

hew
कुलसचिव 15/11/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

hew
सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/606

रीवा दिनांक : २३-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

टी.डी. शिक्षा महाविद्यालय, चाकघाट

जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की रथाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(21) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एड. पाठ्यक्रम–100सीट।
2.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, (अतिरिक्त विषय) इतिहास–60सीट।
3.	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, भौतिक, गणित, रसायन, (अतिरिक्त विषय) वाटनी, जुलाजी–60सीट।
4.	बी.एससी.बी.एड. चार वर्षीय पाठ्यक्रम–100सीट।
5.	एम.एससी. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध वनस्पतिशास्त्र, गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्रत्येक कक्षा–30सीट।
6.	एम.ए. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध हिन्दी, समाजशास्त्र, इतिहास–प्रत्येक कक्षा–30सीट।
7.	पी.जी.डी.सी.ए.–30सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार
कुलसचिव १५/११/२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक/कुलसचिव (विकास)
16/११/२१

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ६०७

रीवा दिनांक : २३-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य

रीवा कालेज आफ एजूकेशन रत्हरा
रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(08) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.एड, पाठ्यक्रम – समस्त अनिवार्य विषय-100सीट।

नोट –

1. एन.सी.टी.ई. नार्मस / कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. प्रयोगशालाओं को उन्नत करें।
3. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

hlm
कुलसचिव १५/११/२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. उप कुलसचिव – परीक्षा।
2. सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव।
5. कुलसचिव के निज सहायक।
6. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

hlm
सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ६०४

रीवा दिनांक : २३-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
जनता महाविद्यालय
रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की रथाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(05) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-2022 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	एम.ए. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध हिन्दी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र-60-60सीट।
2.	एम.एससी. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध – भौतिकशास्त्र, प्राणिविज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र-60-60सीट।
3.	एम.एससी. पूर्वार्द्ध – गणित-60सीट।
4.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष अंग्रेजी साहित्य, इतिहास (अतिरिक्त विषय)-120सीट।
5.	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष कम्प्यूटर साइंस, बायोटेक्नालाजी (अतिरिक्त विषय) –120सीट।
6.	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय, (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन-120सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- महाविद्यालय में पुस्तकालय एवं कम्प्यूटर लैंब को और अधिक व्यवस्थित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव १५/११/२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 609
प्रति,

रीवा दिनांक : २३-११-२०२१

अध्यक्ष / प्राचार्य

श्री रामाकृष्णा कालेज आफ कामर्स एण्ड साइंस
सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 11 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष कम्प्यूटर एप्लीकेशन सहित सभी अनिवार्य विषय एवं टैक्सोसन –540सीट।
2.	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष–300सीट।
3.	बी.सी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष–180सीट।
4.	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष – आधार पाठ्यक्रम, बनस्पति, रसायन, मैक्रोबायलाजी, बायोटेक्नालाजी, वायोकॉमर्स्ट्री, भौतिकशास्त्र, गणित, कम्प्यूटर साइंस, प्राणिशास्त्र–1240सीट।
5.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष – आधार पाठ्यक्रम, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, स्पेशल अंग्रेजी, गृहविज्ञान, संगीत, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, प्राचीन भारतीय इतिहास, संरक्षण एवं पुरातत्व, (अति. विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन–600सीट।
6.	एम.एससी. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध बायोटेक्नालाजी, रसायनशास्त्र, कम्प्यूटर साइंस–100सीट प्रत्येक विषय।
7.	एम.काम. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध–180सीट।
8.	पी.जी.डी.सी.ए.–320सीट।
9.	एम.एस.डब्लू. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध–180सीट।
10.	बी.काम. आनर्स प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष–300सीट।
11.	बी.एससी. आनर्स प्रथम, द्वितीय वर्ष बायोटेक्नालाजी, बनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र–180सीट।
12.	एम.काम. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध (अतिरिक्त विषय) कम्प्यूटर एप्लीकेशन–80सीट।
13.	बी.ए. आनर्स प्रथम, द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र–प्रतिसमूह–120सीट।
14.	एम.एससी. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध गणित–60सीट।
15.	एम.ए. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, राजनीतिशास्त्र– प्रतिविषय–60सीट।
16.	डिप्लोमा योगा शिक्षा–100सीट।

नोट – (1) कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताकरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जायेगी।

आदेशानुसार
[Signature]
कुलसचिव १५/११/२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 610

रीवा दिनांक : २३-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

नेशनल कालेज आफ टीचर्स एजूकेशन
शेरगंज, सतना (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2021–2022 विषयक।

विद्या परिषद की रथाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 2(09) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एड. पाठ्यक्रम-50सीट।

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- उप कुलसचिव – परीक्षा।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एलीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ ६१।

रीवा दिनांक : २३-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

श्री मुकुन्द इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी
बहरी, जिला सीधी (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2019–2020 एवं 2020–2021 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27-08-2021 के आइटम क्रमांक (अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण) 02 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को बी.एस.डब्लू. द्वितीय वर्ष सत्र 2019-20 एवं बी.एस.डब्लू. तृतीय वर्ष सत्र 2020-21 के लिए कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.एस.डब्लू. द्वितीय वर्ष-50सीट।
2.	बी.एस.डब्लू. तृतीय वर्ष वर्ष-50सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत समाजकार्य विषय में शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में समाजकार्य विषय से सम्बन्धित पुस्तकों में वृद्धि करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2021-2022 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

Now
कुलसचिव १५/११/२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन विभाग।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

Now

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ 612

रीवा दिनांक : २३-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

श्री कालिका कन्या महाविद्यालय
लखौरीबाग, निपनिया, रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 8(1) (अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021–2022 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.सी.ए. प्रथम वर्ष-60सीट।
2	एम.एस.डब्लू. प्रथम वर्ष-60सीट।

नोट –


- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पाठ्यक्रम अनुसार पुस्तकों की समुचित व्यवस्था करें।
- कम्प्यूटर लैंब को उन्नत करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022–2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार 
कुलसचिव 15/11/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्ता, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादेमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

 सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ६१३
प्रति,

रीवा दिनांक : २३-११-२०२१

अध्यक्ष / प्राचार्य

ठाकुर लाल बहादुर सिंह महाविद्यालय
पनवार, सीधी (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27-08-2021 के आइटम क्रमांक 2(1) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-22 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा / विषय
1.	बी.ए. तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र, हिन्दी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र-120सीट।
2.	बी.एस.सी. तृतीय वर्ष बायोटेक्नालॉजी, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, कम्प्यूटर, गणित, भौतिकशास्त्र, प्राणिशास्त्र-120सीट।
3.	बी.बी.ए. तृतीय वर्ष प्लेन-150सीट।
4.	बी.एस.डब्ल्यू. तृतीय वर्ष प्लेन-150सीट।

नोट –


- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य व विषय के शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- कम्प्यूटर की संख्या में वृद्धि की जाए तथा पुराने कम्प्यूटर्स को अपडेट करें।
- पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जायेगी।

आदेशानुसार 
कुलसचिव १५/११/२१

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन विभाग।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


सहायक कुलसचिव (विकास)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ ६१५

रीवा दिनांक : २३-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

जनता महाविद्यालय, गोहपारु
जिला शहडोल (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की रथायी समिति की बैठक दिनांक 27-08-2021 के आइटम क्रमांक 02 की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुग्रहन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-22 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	एम.ए. पूर्वार्द्ध हिन्दी-60सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शेष शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- पुस्तकालय में वांछित पाठ्यक्रम की पुस्तकों की व्यवस्था करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

15/11/21

लगातार

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन विभाग।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

लगातार

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ ६१५

रीवा दिनांक : २३-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

इण्डीरियल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी एण्ड साइन्स
जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2021–2022 बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27-08-2021 के आइटम क्रमांक 2(4) की अनुशंसा एवं माननीय कुलपति जी ह्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2021-22 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है –

क्र.	कक्षा/विषय
1.	बी.ए. प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र-120सीट।
2.	बी.एससी. प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, कम्प्यूटर, जन्मुविज्ञान 120सीट।
3.	पी.जी.डी.सी.ए प्लेन-120सीट।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत संबंधित विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति करें।
- विज्ञान की सभी प्रयोगशालाओं में उपकरणों को तीन माह के अन्दर लगाया जाय। रसायनशास्त्र की प्रयोगशाला के लिए सिंक आदि बनवायें।
- पुस्तकालय में 500 पुस्तकों का क्रय करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2022-2023 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार

कुलसचिव

15/11/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ—

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
- अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
- उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन विभाग।
- सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादमिक।
- वित्त नियंत्रक।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- कुलपति जी के सचिव।
- कुलसचिव के निज सहायक।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / 616

रीवा, दिनांक : २३-११-२०२१

प्रति,

अध्यक्ष

शासी निकाय

सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षा महाविद्यालय
रत्हरी, समान, रीवा (म.प्र.)


विषय :- श्री रामबहोर साकेत, व्याख्याता शिक्षा की परिनियम 28 कालेज कोड के अन्तर्गत की गई नियुक्ति की विश्वविद्यालय से किये गये अनुमोदन को निरस्त करने वालत।

सन्दर्भ :- अध्यक्ष, शासी निकाय, सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षा महाविद्यालय, रत्हरी, समान, रीवा के पत्र क्रमांक / 149 / त्यागपत्र / 2021 दिनांक 22-9-2021

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11-10-2021 के आइटम क्रमांक 15 की संस्तुति तथा माननीय कुलपति जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन दिनांक 13-10-2021 के अनुसार श्री रामबहोर साकेत, व्याख्याता शिक्षा, सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षा महाविद्यालय, रत्हरी, समान, रीवा की परिनियम 28 कालेज कोड के अन्तर्गत की गई नियुक्ति की विश्वविद्यालय से किये गये अनुमोदन को निरस्त किया जाता है।

आदेशानुसार


कुलसचिव 13-11-21

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्।
2. उप कुलसचिव – परीक्षा, प्रशासन।
3. सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादमिक।
4. वित्त नियंत्रक।
5. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
6. कुलपति जी के सचिव।
7. कुलसचिव के निज सहायक।
8. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।


प्रतिलिपि का संग्रहित (प्रिंट)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2021 / ६१७

रीवा, दिनांक : २३-११-२०२१

अधिसूचना

आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पृष्ठांकन पत्र क्रमांक—166/640/आजशि/सम्ब./2012 भोपाल दिनांक 18-1-2013 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 16-09-2021 के आइटम क्रमांक 04 के निर्णयानुसार तथा माननीय कुलपति जी के द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन अनुसार, अशासकीय महात्मा गांधी कम्प्यूटर कॉलेज, सतना का नाम परिवर्तन कर "महात्मा गांधी कालेज, सतना" किया जाता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव १५-११-२४
द्वारा

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. अध्यक्ष/प्राचार्य, महात्मा गांधी कालेज, सतना।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
4. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग।
6. उप कुलसचिव, परीक्षा, प्रशासन विभाग।
7. सहायक कुलसचिव – गोपनीय, अकादमिक।
8. वित्त नियंत्रक।
9. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
10. कुलपति जी के सचिव
11. कुलसचिव के निज सहायक।
12. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

सहायक कुलसचिव (विकास)

द्वारा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2021/ ६२५

रीवा दिनांक : २५-११-२०२१

प्रति,

प्राचार्य

शासकीय राजनारायण स्मृति महाविद्यालय
बैठन, जिला सिंगराँली (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2020–2021 विषयक।

विषयान्तर्गत लेख है कि, राजभवन के पत्र क्रमांक 466/रा.स./यू.ए.-३/2020 दिनांक 19-4-2020, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन के पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1132/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 1-6-2020 एवं पृष्ठांकन आदेश क्रमांक 1236/34/आउशि/संबद्धता/2020 दिनांक 18-6-2020 के अनुक्रम में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30-07-2020 के आइटम क्रमांक ९ की अनुशंसा तथा कार्य परिषद की आपात बैठक दिनांक 07 दिसम्बर 2020 के निर्णय अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2020-2021 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	एम.ए. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध – अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, हिन्दी। स्ववित्तीय योजनान्तर्गत –
1	एम.काम. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध – अनिवार्य विषय।
2	एम.एससी. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध – भौतिकी, गणित, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र।
3	एम.ए. पूर्वार्द्ध / उत्तरार्द्ध – अंग्रेजी।

आदेशानुसार,

लला
कुलसचिव २५/११/२०२१

अमृ

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- उप कुलसचिव – परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलपति जी के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक।

लला
सहायक कुलसचिव (विकास) ३५८
२५/११/२०२१